



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 9, 2013/अग्रहायण 18, 1935

No. 288]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 9, 2013/AGRAHAYANA 18, 1935

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 9 दिसंबर, 2013

**सं. 15/1/2010-पारेषण.**—पारेषण सेवा के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशा-निर्देश।

पारेषण सेवा के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशा-निर्देशों के लिए दिशा-निर्देश संकल्प सं. 11/5/2005-पीजी (i), दिनांक 13 अप्रैल, 2006 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत समय-समय पर संशोधित किए गए थे।

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में एतद् द्वारा निम्नांकित संशोधन किए जाते हैं :

1. बोली प्रक्रिया पैरा 9.5 – आठवें वाक्य में "दो माह" शब्द को बदलकर "एक माह" कर दिया गया है।
2. बोली प्रक्रिया के लिए समय-सारणी : पैरा 11.1 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया गया है :

बोली प्रक्रिया के लिए सुझायी गई समय-सारणी नीचे दर्शाई गई है। बीपीसी यहाँ मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर दर्शाई गई समय-सीमा को आगे बढ़ा सकती है और ऐसे परिवर्तन इन दिशा-निर्देशों में विपथन नहीं माने जाएंगे।

कार्यक्रम	शून्य तिथि से बीता समय
आरएफक्यू का प्रकाशन	शून्य तिथि
आरएफक्यू के समक्ष प्रतिउत्तर प्रस्तुत करना	30 दिन
प्रतिउत्तर के आधार पर संक्षिप्त सूची तैयार करना और आरएफपी जारी किया जाना	60 दिन
बोली स्पष्टीकरण, सम्मेलन, अंतिम स्पष्टीकरण और आरएफपी का संशोधन	85 दिन
तकनीकी और मूल्य बोली प्रस्तुत करना	120 दिन
बोलीकर्ता की संक्षिप्त सूची तैयार करना और एलओआई जारी करना	135 दिन
करारों पर हस्ताक्षर	145 दिन

3. संविदा अवार्ड और निष्कर्ष पैरा 12.2 – दूसरे वाक्य में "एक माह" को बदलकर "दस दिन" कर दिया गया है।

घनश्याम प्रसाद, निदेशक

**MINISTRY OF POWER**

**RESOLUTION**

New Delhi, the 9th December, 2013

**No. 15/1/2010-Trans.**—Tariff based Competitive-bidding Guidelines for Transmission Service.

The Guidelines for Tariff based Competitive-bidding Guidelines for Transmission Service had been notified vide Resolution No. 11/5/2005-PG (i), dated 13th April, 2006 and as amended from time to time under the provisions of the Electricity Act, 2003.

The following amendments are hereby made in the above Guidelines:

1. BIDDING PROCESS para 9.5 – The words '*two months*' in eighth sentence have been replaced by '**one month**'.
2. TIME TABLE FOR THE BID PROCESS: Para 11.1 has been substituted by the following:

A suggested time-table for the bid process is indicated below. The BPC may give extended time-frame indicated herein based on the prevailing circumstances and such alterations shall not be construed to be deviation from these guidelines.

Event	Elapsed time from zero date
Publication of RFQ	Zero date
Submission of Response to RFQ	30 days
Short listing based on responses and issuance of RFP	60 days
Bid clarification, conference, Final clarification and revision of RFP	85 days
Technical and price bid submission	120 days
Short listing of bidder and issue of LOI	135 days
Signing of Agreements	145 days

3. CONTRACT AWARD AND CONCLUSION para 12.2 – The words '*one month*' in second sentence have been replaced by '**ten days**'.

GHANSHAYAM PRASAD, Director

**संकल्प**

नई दिल्ली, 9 दिसंबर, 2013

**सं. 15/1/2010-पारेषण.**—पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा-निर्देश।

पारेषण परियोजनाओं के विकास के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा-निर्देश संकल्प सं. 11/5/2005-पीजी (ii), दिनांक 13 अप्रैल, 2006 द्वारा अधिसूचित किये गए थे और विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत समय-समय पर संशोधित किए गए थे।

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में एतद्वारा निम्नांकित संशोधन किए जाते हैं :

1. पारेषण हेतु लाइसेंस पैरा 20 – तीसरे वाक्य में शब्दों "**30 दिन**" को बदलकर "**10 दिन**" कर दिया गया है। चौथे वाक्य में शब्दों "**तीस दिन**" को बदलकर "**दस दिन**" कर दिया गया है।

घनश्याम प्रसाद, निदेशक

**RESOLUTION**

New Delhi, the 9th December, 2013

**No. 15/1/2010-Trans.**—Guidelines For Encouraging Competition in Development of Transmission Projects

The Guidelines for Encouraging Competition in Development of Transmission Projects had been notified *vide* Resolution No.11/5/2005-PG (ii), dated 13th April, 2006 and as amended from time to time under the provisions of the Electricity Act, 2003.

The following amendments are hereby made in the above Guidelines:

1. LICENSE FOR TRANSMISSION Para 20 - The words '**30 days**' in third sentence have been replaced by '**10 days**'. The words '*thirty days*' in fourth sentence have been replaced by '**ten days**'.

GHANSHYAM PRASAD, Director